# राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक–प.7(    )/सी.एस.एस.–आर.के.वी.वाई./बजट घोषणा–2017 /2019–20/6515 दिनांकः– 06/03/2020

समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक
राजस्थान।

विषयः– 1,000 करोड़ दीर्घावधि ऋण की स्वीकृति के क्रम में।

महोदय्

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के अधीन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 19ए के अन्तर्गत कृषक कल्याण कोष गठित है। कोष के अन्तर्गत कृषक कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित होते है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के द्वारा बैंको से निम्न प्रयोजनों हेतु ऋण की अपेक्षा हैः–

1. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में कृषि के लिए एक बहुउपयोगी एग्री–प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एवं एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत प्रोसेसिंग यूनिटस को पूजींगत एवं ब्याज अनुदान का प्रावधान है।
2. किसानों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि जिन्सों का उचित मूल्य दिये जाने की दृष्टि से समय–समय पर समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। आवश्यकतानुसार आपसे प्राप्त ऋण का उपयोग इस प्रयोजन हेतु भी किया जायेगा।
3. प्राकृतिक आपदाओं से कई बार किसानों की फसलों को नुकसान पहुचता है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु बीमा प्रीमियम भी किया जायेगा।
4. कृषि विपणन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दृष्टि से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी क्षेत्र में आवश्यक निर्माण कार्य करवाये जाते है। जिसके लिए भी ऋण राशि अपेक्षित है।
5. ऋण राशि का उपयोग कृषक कल्याण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियम किये जाने वाले अन्य प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा।

उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को 1,000 करोड़ के टर्म लोन की आवश्यकता है।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 2एचए में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी ऐजेन्सी से ऋण की शक्तियॉ प्राप्त है।

आपसे प्राप्त होने वाले ऋण की गारन्टी राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इस ऋण हेतु प्रथम 02 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि तथा तदुपरान्त 08 वर्ष में ब्याज एवं मूलधन का का भुगतान किये जाने की बोर्ड की योजना है। मूलधन एवं ब्याज राशि का पुर्नभुगतान वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

अतः निवेदन है कि दीर्घकालीन ऋण हेतु ब्याज दर के संबंध में प्रस्ताव दिनांक 11.03.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक भिजवानें का श्रम करावें।

Sd

(तारा चन्द मीना)
प्रशासक

प्रतिलिपि एसीपी, रा.रा.कृ.वि.बो., जयपुर को उक्त पत्र एसपीपीपी व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(लीलाधर)
मुख्य लेखाधिकारी